न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 09/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बाबुलाल देवासी पुत्र सालुराम जाति–देवासी, निवासी–अरणाय तहसील व जिला–सांचौर		1 सांवला पुत्र सालु, जाति–रेबारी निवासी–अरणाय, तहसील व जिला–सांचौर 2 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– **29.11.2017**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राजपैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बाबुलाल देवासी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा अरणाय में प्रार्थी की मालिकाना हकहकूक की खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 1438 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1439 रकबा 3.93 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1440 रकबा 0.47 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.43 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अन्य आराजी प्रार्थी के पिता सालूराम के नाम खातेदारी कब्जा काश्त की थी, जिनके फौत होने पर प्रार्थी बाबुलाल देवासी के नाम भूमि दर्ज हुई। उक्त आराजी में लिपिकीय भूल से प्रार्थी का नाम बाबुलाल देवासी की बजाय पीरा लिख दिया गया, जो लिपिकीय भूल से लिखा गया है। प्रार्थी बाबुलाल देवासी का कभी भी पीरा नाम नहीं रहा तथा न ही पीरा का नाम का प्रार्थी के कोई भाई या परिवार प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबुलाल देवासी है जिसके समर्थन में मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जोब कार्ड इत्यादि तमाम दस्तावेजों में बाबुलाल देवासी दर्ज है जिससे पूर्णतया साबित है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबुलाल देवासी है। उक्त नाम दुरूस्ती हेतु उपख[illegible]ट द्वारा बाद जांच दिनांक 07.01.2016 को बाबुलाल देवासी सही नाम होने का शपथ–[illegible] तस्दीक किया गया, जो उक्त शपथ–पत्र का गजट नोटिफिकेशन भी प्रकाशन हुआ। जिसमें पीरा नाम के व्यक्ति[illegible] कोई आपत्ति नहीं की, जिससे यह साबित है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबुलाल दे[illegible] है। प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में पीरा लिखने से व अन्य दस्तावेजों में नाम बाबुलाल देवासी होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:59:53 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

से प्रार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने फसल बीमा प्राप्त करने व अन्य कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः उपरोक्त परिवर्तन का आदेश फरमावें।

राजपैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपना जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा अरणाय के खेत खसरा संख्या 1438, 1439, 1440 कुल रकबा 4.43 हैक्टेयर की पूर्व खातेदारी बच्छराज पुत्र गणेशमल महाजन, निवासी–अरणाय के नाम दर्ज थी, उक्त आराजी दिनांक 24.06.1993 को बच्छराज से पीरा सांवला पिसरान सालू कौम–देवासी निवासी–अरणाय के नाम हस्तान्तरित हुई तथा प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि में सालु पुत्र भगवाना प्रार्थी के पिता फौत होने पर मौजा अरणाय के नामान्तरकरण संख्या 884 दिनांक 19.06.2018 स्वीकृत होने पर सालु भगवाना के स्थान पर केसाराम बाबुलाल, सावंलाराम पिसरान सालू के नाम अमलदरामद हुआ है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र मेंवर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि मौजा अरणाय में प्रार्थी व अन्य के शामलाती खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1438, 1439, 1440 जुमले रकबा 4.43 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त खेतों की खातेदारी में प्रार्थी का नाम बाबुलाल देवासी की बजाय भूलवंश 'पीरा' लिख दिया गया है जिसे सुधार कर पीरा के स्थान पर बाबुलाल देवासी लिखा जाने का आदेश फरमावें। जबकि प्रार्थी के नाम अन्य तमाम सरकारी दस्तावेजात् में बाबुलाल देवासी नाम दर्ज है। तथा पीरा पुत्र सालुराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। तथा प्रार्थी ने अपना नाम बाबुलाल देवासी होने बाबत् पूर्व में एक शपथ–पत्र एस.डी.एम सांचौर के समक्ष पेश कर तस्दीक करवाया था। तथा कार्यालय अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर से दिनांक 24.[redacted]2016 गजट भी प्रकाशित करवाया था, परन्तु आज दिन तक कोई आपत्ति नहीं हुई है। अतः प्रार्थी का नमा पीरा की बजाय बाबुलाल देवासी के नाम से उपरोक्त आराजी में ईन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु आदेश फरमावें।

राजपैरोकार नायब तहसीलदार सांचैर ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पौषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौजा अरणाय के खेत खसरा संख्या 1438, 1439, 1440 कुल रकबा 4.43 हैक्टेयर भूमि की ज[illegible] 2070–2073 में बतौर खातेदार पीरा, सांवला पिसरान सालू के [illegible] राजपैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर के जवाब में उल्लेखित तथ्यों अनुसार सालू वल्द भगवाना की मृत्यु उपरान्त भरे गये नामान्तरकरण में केसाराम, बाबुलाल, सांवलाराम पिसरान सालु के नाम अन्य खातेदारी दर्ज है, व प्रार्थी द्वारा पेश राशन कार्ड, आधार कार्ड से भी प्रार्थी का नाम फोटो सहित बाबुलाल देवासी के नाम से है। तथा प्रार्थी द्वारा एस.डी.एम सांचौर के समक्ष पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:39:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

शपथ–पत्र पेश किया जिसमें भी प्रार्थी का नाम पीरा की बजाय बाबुलाल होना बताया गया है तथा इसी प्रकार कार्यालय अधीक्षक राज्य मुद्रणालय जयपुर द्वारा जारी गजट दिनांक 21.04.2016 में भी प्रार्थी का नाम बाबुलाल देवासी होना दर्ज है। अतः उपरोक्त तमाम दस्तावेजात् से प्रार्थी द्वारा अपना नाम 'पीरा' से बदलकर बाबुलाल देवासी रखा जाना प्रतीत होने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा अरणाय के खेत खसरा संख्या 1438,1439, 1440 जुमले रकबा 4.43 हैक्टेयर भूमि में 'पीरा' पुत्र सालु की जगह बाबुलाल देवासी पुत्र सालु के नाम की ईन्द्राज दुरूस्ती की जावें।

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner